

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा  
उनवान

शिवर पि डाऊ शुल्क बनाम सोहनी चं तुवालाल गुल्शन  
किसम मुकदमा धारा मु०.न० 7120  
सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
3/1/20	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ..... के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक 4/3/20 को पेश हो।</p>	
4.3.2020	<p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। शर्ची आवेदन उपरकेत विपक्षी आवेदन शुल्क उपरकेत नहीं होने से उनमें विरुद्ध एक नरका कार्यवाही का आदेश दिया गया। शर्ची आवेदन के पत्रावली का आदेश हेतु निवेदन दिया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अनुलोमन किया गया पत्रावली में उपलब्ध पत्रावली में शर्ची शर्कर पिता डाऊ एवादन शिवाजी पत्नी रबालेदार एवादन की कोर कृषक अपनी शर्ति का सीमांक कर सकत हैं इसमें कागजी शेक नहीं है।</p> <p>आज शर्ची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 L.R Act स्वीकार कर आदेश दिया जात है आज पत्नी वी</p>	

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्र०स० 7/20 (2020/00007)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

श्री डा.न. 169/ रकबा 1.73 हेक्टर भूमि का  
सीमांकन किया जावे. सीमांकन शुल्क राजमोह  
में 200 RS तथा कमीशनर फिस के रजि में 500 RS  
जमा कराने पर सीमांकन कराया जावे, पालनार्थ  
तहसीलदार रायपुर को हुकमनामा जारी है।  
पत्रावली जेसल शुमार होकर गन्वार कम है।



शुभ  
(सुन्दरलाल काकोडा)  
RAS

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (सीलवाडा)

